बिहार सरकार

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, अंधराठाढ़ी।
Email-ID-wkcdathari@gmail.com

पत्रांक......................./अंधराठाढ़ी दिनांक................./2026

भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना

संख्या–03/2025–26

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, अंधराठाढ़ी अन्तर्गत नहर संचालन एवं रख–रखाव हेतु 02 अदद ए0सी0/नन ए0सी0 वाहन यथा स्कोर्पियों/बोलेरों के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन इच्छुक वाहन मालिक/फर्म से मुहरबंद दर कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

वाहन की विवरणी

क्र0सं0	कार्यालय का नाम	अदद	अवधि	दर
01.	कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, अंधराठाढ़ी हेतु	01	01 अप्रेल 2026 से 31.03.2027 तक कुल – 12 माह	
02.	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, अंधराठाढ़ी हेतु	01	01 अप्रेल 2026 से 31.03.2027 तक कुल – 12 माह	

1. कोटेशनदाता का नाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, अंधराठाढ़ी।
2. कोटेशन आमंत्रण की तिथि :– 09.03.2026
3. कोटेशन जमा करने की अंतिम तिथि :– 23.03.2026 को 03.00 बजे अपराहन् तक।
4. कोटेशन प्राप्त करने का स्थान :– कार्यपालक अभियंता, का कार्यालय पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, अंधराठाढ़ी।
5. कोटेशन खोलने की तिथि समय एवं स्थान :– 24.03.2026 को अपराहन 03.30 बजे अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय कक्ष में।

शर्तें निम्नवत है:–

1. भाड़े पर वाहन विभागीय निर्देशानुसार दिये गये अवधि तक के लिए लिया जायेगा। व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है।
2. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी साप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा ही किया जायेगा।
3. वाहन मालिक/फर्म का वैघ GST एवं PAN card निबंधन होना अनिवार्य है।
4. वाहन के भुगतान पर नियामानुसार सभी प्रकार के करों अर्थात् जी0एस0टी0 आदि का भुगतान वाहन मालिक/आपूर्तिकर्ताओं को स्वयं करना होगा एवं अन्य शुल्क आदैयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। विभाग द्वारा किसी प्रकार के कर का भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए एवं वाहन का वैध निबंधन पत्र, बीमा, रोड टैक्स एवं प्रदूषण प्रमाण–पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा एवं वाहन चालक के पास अद्यतन वैद्य ड्राईविंग लाईसेंस होना चाहिए।
6. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
7. वाहन के उपयोग के विरूद्ध किराया प्रतिमाह ईंधन सहित एवं चालक सहित देय होगा।

8. **वाहन का ईंधन सहित (चालक सहित)** प्रतिमाह का न्यूनत्तम दर के कोटेशन वाहनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यक्ता नहीं रहने पर कभी भी बिना कारण बताये एकरारनामा समाप्त कर दिया जायेगा।

9. वाहन का उपयोग वाहन मालिक वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता निजी अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नही करेंगें।

10. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे कार्यालय में संबंधित पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेगा। वाहन खराब होने की स्थिति में वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा की वे तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध कराएंगें अगर वें ऐसा नही करते है तो उस दिन के लिए भाड़े के रूप में देय राशि के दो गुणे दर से कटौती कर ली जायेगी। इच्छुक वाहन मालिक/फर्म का उक्त क्रमांक 01 से 09 तक के शर्तो को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 2,3,5 एवं 6 से संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करेंगें। एक से अधिक समान न्यूनत्तम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर दिनांक– ~~18~~ 24/03/2026 को 3.30 बजे अपराह्ण में वैध कोटेशन वाहनदाता के बीच लॉटरी के माघ्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जाएगा। स्थानीय कोटेशन दाताओं को प्राथमिक्ता दी जायेगी।

11. वाहन का किराया प्रति माह (बोलेरों/सुमों/स्कोर्पियों/नन ए0सी) 30,000.00 (रू0 तीस हजार) एवं ए0सी0 के लिए रू0 31,500.00 (रू0 ईकतीस हजार पाँच सौ) (समय–समय पर संशोधित) मात्र प्रतिमाह अधिकतम अथवा आपके द्वारा उद्धृत दर में से न्यूनत्त्म स्वीकार्य होगा, तथा भुगतान प्रत्येक माह के बाद विपत्र प्रस्तुत करने पर उपलब्ध आवंटन के विरूद्ध किया जाएगा।

12. विभागीय मापदंड के अनुरूप नियमानुकूल कटौती की जायेगी।

13. सशर्त कोटेशन दर मान्य नहीं होगा। कोटेशन शर्त के अनुकूल वांछित कागजात एवं शपथ पत्र जमा नहीं किए जाने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जाएगा।

14. विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय अवधि में कार्यालय कक्ष, सूचनापट्ट अथवा अघोहस्ताक्षरी के दूरभाष संख्या 7463889755 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह0/–
कार्यपालक अभियंता,
पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल,
अंधराठाढ़ी।

पत्रांक– 196   अंधराठाढ़ी   दिनांकः– 07.03.2026

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि राज्यस्तरीय प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु अग्रेत्तर कार्यवाई करने चाहेंगें।

07/03/26

कार्यपालक अभियंता,
पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल,
अंधराठाढ़ी।